

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 25/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 24.07.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. पुलिस अभिरक्षा से फरार 50,000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड में थाना जंगीपुर, गाजीपुर से गिरफ्तार । कब्जे से 02 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद चोरी की दो पहिया वाहन बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक- 23.07.2025 को थानाध्यक्ष जंगीपुर को सूचना मिली कि पुलिस अभिरक्षा से फरार अभियुक्त बलिया रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है , उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी मय पुलिस बल द्वारा जनपद बलिया रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे तो एक मोटरसाईकिल में उक्त फरार अभियुक्त अपने एक अन्य सहयोगी के साथ फेफना की तरफ निकल रहा था, पुलिस बल की गाड़ी को देखते ही उक्त दोनो बदमाश मोटरसाईकिल के साथ भागने लगे घेरा-घारी करते हुए उनका पीछा किया गया तो रामपुर जीवन थाना जंगीपुर गाजीपुर पुल के पास उक्त दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस वालों पर जान मारने की नियत से फायरिंग की गई किन्तु हिकमत अमली से दोनो अभियुक्तो को मय अवैध असलहा व चोरी के वाहन के साथ पकड़ लिया गया जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/25 धारा 309(4) 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 136/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 516/25 धारा 261/262 बीएनएस में वांछित/पुलिस अभिरक्षा से फरार 50,000 रुपये का ईनामिया अभियुक्त 1.शिवम चौहान उर्फ परमहंस पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ व सहयोगी अभियुक्त 2. सत्यम चौहान उर्फ चुनमुन चौहान पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर जिला कारागार गाजीपुर भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का विवरण -

1.शिवम चौहान उर्फ परमहंस पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

2. सत्यम चौहान उर्फ चुनमुन चौहान पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी ग्राम चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष

1. अभियुक्त शिवम चौहान उर्फ परमहंस का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 0008/2023 धारा 120B, 392, 411 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0 0010/2023 धारा 307, 504 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0 0013/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 0257/2023 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर ।
5. मु0अ0सं0 0041/2024 धारा 34, 392, 411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
6. मु0अ0सं0 0047/2024 धारा 307, 34, 411, 413, 414, 420 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
7. मु0अ0सं0 0048/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
8. मु0अ0सं0 0135/2025 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर ।
9. मु0अ0सं0 0136/2025 धारा 109(1) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर ।
10. मु0अ0सं0 08/24 धारा 392/411 भादवि थाना बिरनो जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0 149/25 धारा 109(1) /317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
12. मु0अ0सं0 516/25 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2. अभियुक्त सत्यम चौहान उर्फ चुनमुन चौहान का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 715/16 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पति क्षति नि0 अधि0 थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 1521/2016 धारा 323/504/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0 143/2028 धारा 147/323/325/504/506 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 149/25 धारा 109(1) /317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी-

- 1- 01 अदद चोरी की दो पहिया वाहन
- 2- 02 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर

02. थाना शादियाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/25 धारा 103(1),109(1) बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद श्री श्याम जी यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 248/25 धारा 103(1),109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश राम पुत्र स्व0 रामराज निवासी ग्राम मरदानपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 24.07.2025 को गुरैनी पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जयप्रकाश राम पुत्र स्व0 रामराज निवासी ग्राम मरदानपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष
अपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 248/25 धारा 103(1),109(1) बीएनएस थाना शादियाबाद, गाजीपुर

03. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 177/2025 धारा 87,62,74,352,351(2),64(1),61(2) बी0एन0एस0 में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दुल्लहपुर पुलिस के द्वारा थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2025 धारा 87,62,74,352,351(2),64(1),61(2) बी0एन0एस0 में वांछित चल रहे अभियुक्त सेराज अहमद पुत्र समीम अहमद ग्राम देवा थाना दुल्लहपुर गाजीपुर उम्र लगभग 21 वर्ष को आज दिनांक 24.07.25 को जलालाबाद चौराहा पर सड़क के किनारे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

सेराज अहमद पुत्र समीम अहमद ग्राम देवा थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 177/25धारा 87,62,74,352,351(2),64(1),61(2) बी0एन0एस0थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

04. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 24.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 43/2019 धारा 452, 376, 326, 304, 323, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 1. अभियुक्त अब्दुल्ला खाँ पुत्र स्व0 नाजिम खाँ निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को धारा 323 व 506 भादवि के तहत 01-01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

2. अभियुक्त मेंहदी हसन उर्फ राजा खाँ पुत्र अब्दुल्ला खाँ निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर में धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 326 भादवि में आजीवन कारावास तथा 20,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 304 भादवि में आजीवन कारावास तथा 25,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

05. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 282/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02

नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.07.2025 को थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 281/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/125 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 1. भगवान यादव पुत्र गिरजा यादव उम्र 55 वर्ष 2. संदीप यादव पुत्र शिवलाल सिंह यादव उम्र 22 वर्ष निवासीगण जगदीशपुर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को लहुआर सोनहरिया सैदाबाद तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. भगवान यादव पुत्र गिरजा यादव उम्र 55 वर्ष नि0 जगदीशपुर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर
2. संदीप यादव पुत्र शिवलाल सिंह यादव उम्र 22 वर्ष नि0 जगदीशपुर थाना जमानियां जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

03 अदद तमन्चा देशी नाजायज .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 281/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/125 बीएनएस थाना जमानिया जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 282/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर

06. गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी जो कि 50,000/- रू0 पुरस्कार घोषित फरार अपराधी है का आर्थिक सहयोगी व उसके गैंग का खास सदस्य एवं बहुचर्चित फर्म M/S VIKASH CONSTRUCTION मे आफ्सा अंसारी के साथ पार्टनर अभियुक्त रविन्द्र नारायण सिंह की संगठित अपराध से अर्जित भूमि जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 60,00,000(साठ लाख रुपये) है को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 01.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी जो कि 50,000/- रू0 पुरस्कार घोषित फरार अपराधी है का आर्थिक सहयोगी व उसके गैंग का खास सदस्य एवं बहुचर्चित फर्म M/S VIKASH CONSTRUCTION मे आफ्सा अंसारी के साथ पार्टनर अभियुक्त रविन्द्र नारायण सिंह की संगठित अपराध से अर्जित भूमि/अचल सम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 60,00,000-/(साठ लाख रुपये) है, जिसे आज दिनांक 23/07/2025 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी,आफ्सा अंसारी तथा रवीन्द्र नारायण सिंह द्वारा संचालित फर्म M/S VIKASH CONSTRUCTION से AAGHAZ ENGINEERING PROJECT LIMITED जिसकी मुख्य डायरेक्टर व चेयरपर्सन आफ्सा अंसारी है ने जिन्होंने करीब 02 करोड 50 लाख रु. छिपाने के उद्देश्य से अन्तरित किये गये थे। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त रवीन्द्र नारायण सिंह पुत्र चन्द्रदेव नारायण सिंह नि0 ग्राम डोमनपुरा (बालापुर), थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उपरोक्त द्वारा लोक

व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने एवं अपने तथा गैंग के अन्य सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित धन से अचल संपत्ति जो कि अभियुक्त रवीन्द्र नारायण सिंह द्वारा अपने नाम से क्रय की गयी है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति का विवरण-

अभियुक्त रवीन्द्र नारायण सिंह ने अपने नाम से मौजा डोमनपुरा तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में आ0नं0 194 रकबा 0.142 में 1/2 यानि 0.071 हे0 जिला गाजीपुर द्वारा अपनी नामी सम्पत्ति के रूप में अपने संगठित अपराध, जालसाजी कूटरचना से अर्जित धन से विक्रेती मिथिलेश प्रसाद पत्नी रामेश्वरम प्रसाद निवासी सैदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर वर्तमान पता- डोमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर व विक्रेता ऋत्युत ऋतुराज पुत्र बद्दीनारायण निवासी बालापुर डोमनपुरा थाना मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर से क्रय की गयी है, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत साठ लाख रुपये है (60,00,000/-) रुपये है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-227/2021 धारा 447 भादवि व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 थाना नन्दगंज, गाजीपुर
2. मु0अ0स0-272/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B, 386 भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 थाना नन्दगंज, गाजीपुर
3. मु0अ0स0-236/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर
4. मु0अ0स0-273/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद, गाजीपुर
5. मु0अ0स0-19/2025 धारा 115(2), 352, 351(3) BNS थाना मुहम्मदाबाद, गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर